

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक स.3-6(5)स्था/मंत्रा/पदोन्नति/अभि/2019/ 7918-63

दिनांक :- 24.07.19


-: आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक के पदों पर विभागीय पदोन्नति की अनुशंसा पर गैर अनूसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में पे मेट्रिक्स लेवल-5 में पदोन्नत किया जाता है।

क्र.स.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	आरक्षण वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति की दिनांक	विशेष विवरण
1.	67	श्री अशोक कुमार मोची पुत्र श्री रतन लाल	एस.सी.	2019-20	01.04.2019	
2.	81	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह	सामान्य	2019-20	01.04.2019	
3.	90	श्री उदय चन्द पुत्र श्री मांगी लाल	एस.सी.	2019-20	01.04.2019	
4.	146	श्री धर्मेन्द्र सोनी पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप सोनी	ओबीसी	2019-20	01.04.2019	
5.	169	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री धूम सिंह	सामान्य	2019-20	01.04.2019	
6.	170	श्री महेश चन्द सोयल पुत्र श्री गुलाब चन्द सोयल	एस.सी.	2019-20	01.04.2019	
7.	171	श्री विनोद कुमार मीणा पुत्र श्री बाबू लाल मीणा	एस.टी.	2019-20	01.04.2019	
8.	174	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द	ओबीसी	2019-20	01.04.2019	
9.	175	श्रीमती कौशल्या भास्कर पुत्री श्री रामधन चौधरी	ओबीसी	2019-20	01.04.2019	
10.	178	श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा	सामान्य	2019-20	01.04.2019	
11.	179	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल	सामान्य	2019-20	01.04.2019	


उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों क्रं. 1 से 11 तक के कार्मिकों को वर्तमान कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। पदोन्नति पर इनका वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे।

उपरोक्त पदौन्नति हेतु सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक 13(5)सा.प्र./3/2008 जयपुर दिनांक 04.07.2019 के द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

  
( एस.एन.व्यास )  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
4. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली

  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर  
07/19